तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स धापा देवी बनाम सरकार फौजदारी प्रकरण संख्या 27/57/2017 एफआईआर नंबर 234/16 थाना थानागाजी सीआईएस संख्या 33/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी
16.03.2026	परिवादी धापा देवी मय अधिवक्ता उप0। विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने बहस प्रसंज्ञान की। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम अंगारी तहसील थानागाजी में आराजी खसरा नंबर 1432/0.1000, 1808/0.4900 हैक्टेयर में 5/6 हिस्सा तथा खसरा नंबर 1431/0.1100, 1807/0.4600 में 1/3 हिस्सा तथा खसरा नंबर 1369/0.0800, 1443/0.1400, 1814/0.4200, 1815/0.2300 में 1/3 हिस्सा प्रभात पुत्र रेवड के नाम चली आती है। प्रभात की मृत्यु हो चुकी है। मुलजिमानों ने प्रभात पुत्र रेवड का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2001 को जारी करवा दिया जिसमें प्रभात की मृत्यु दिनांक 15.09.1997 होना बताया है जबकि प्रभात की मृत्यु 04.12.1985 को हो गई थी। मुलजिमानों ने जानबूझकर संपत्ति प्रभाव की हडपने को झूठी तारीख लिखकर पास की तारीख देखकर अवैध रूप से उसकी खेती की जमीन हडपने को यह मृत्यु की तारीख दर्ज की है जो छल से झूठी तारीख लिख धोखाधडी की है। गलत शपथ पत्र मुलजिमानों ने दिया है। प्रभात अपने जीवन काल में जीवणी देवी के पास बतौर पुत्र गोद की तरह रहता था। जीवणी की आराजी भी उसे प्रभात के नाम हुई थी। इसकी जानकारी मुलजिम मूलचन्द, महादेव को थी। एक समाज के लेख पत्र पर मूलचन्द अंगूठा है व महादेव प्रसाद का अंगूठा है। यह जानते हुये भी मुलजिमान ने प्रभात की आराजी फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर काम में लेकर अपने नाम करा ली। जबकि धापा पुत्री जीवणी का व मातादीन पुत्र फूलचन्द का भी हिस्सा बनता था। जब प्रभात जीवणी के पास गोद के पुत्र के रूप में रहता था तो उसकी बहन होने के नाते वही मालिक प्रभात की होती है और अवैध रूप से स्वयं को लाभ पहुंचाने व मुस्तगीस को अवैध रूप से हानि पहुंचाने का इंद्राज कराया है। छल व कपट कर झूठे प्रमाण पत्र बनवाकर संपत्ति आराजीयात प्राप्त की है व छल	

व धोखाधडी की तारीफ में आता है।

उक्त परिवाद को न्यायालय द्वारा पुलिस थाना थानागाजी को भेजा गया जिस पर थाना थानागाजी द्वारा एफआईआर नंबर 234/16 धारा 420, 467, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद आवश्यक अनुसंधान प्रकरण में एफआर अदम वकू सिविल नेचर में न्यायालय में प्रस्तुत की। अंतिम प्रतिवेदन से परिवादी द्वारा व्यथित होकर प्रोटेस्ट पीटिशन प्रार्थना पत्र पेश किया व परिवाद के समर्थन में धारा 200 सीआरपीसी में स्वयं को व धारा 202 सीआरपीसी में गिरदाराम व कानाराम को परीक्षित कराया।

दौराने बहस परिवादी के अधिवक्ता का यह कथन रहा है कि उक्त प्रकरण में मुकामी थाना थानागाजी ने मुलजिमान से मिलकर गलत रूप से एफआर लगायी है। पुलिस थाना थानागाजी ने ना तो मेरे बयान लिये और ना ही गवाहों के बयान लिये। गवाहों के बयान तोडमरोड कर पेश कर दिया। अंत में प्रोटेस्ट पीटिशन स्वीकार कर अभियुक्त के खिलाफ प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहरीरी रिपोर्ट, धारा 200 व 202 सीआरपीसी के बयानों आदि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा हस्तगत प्रकरण में एफआर अदम वकू सिविल नेचर में अपने अनुसंधान में यह पाया कि परिवादीगण व कथित आरोपियान आपस में एक ही परिवार के संबंधित रिश्तेदार हैं। मृतक प्रभात के नजदीक वारिसान कथित आरोपीयान तीनों भाई हैं। जबकि परिवादिया धापादेवी की माता जीवणी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, मृतक प्रभात जो ना औलाद फोत हो गया था। जीवणी के पास पुत्र के समान रहता था। जिस वजह से मृतक प्रभात की आराजी का इन्तकाल आपसी सहमति से दोनों पक्षान ने अपने अपने हिस्से का अपने अपने नाम दर्ज करा लिया लेकिन अब आपस में विवाद होने पर एक दूसरे के खिलाफ सिविल न्यायालय में दावा व न्यायालय से 156(3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। कथित आरोपीगण ने भी परिवादिया के खिलाफ मु.नं. 74/16 धारा 420, 467, 471, 120बी भा.दं.सं. में दर्ज कराया था जिसमें नतीजा अनुसंधान सिविल नेचर

में एफ.आर किता की जाकर पेश न्यायालय की जा चुकी है। प्रकरण हाजा में कथित आरोपी श्री मूलचन्द द्वारा मृतक प्रभात की मृत्यू तारीख 1997 अंकित करवायी थी। कानूनी रुप से मृतक की आराजी को अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराना गलत नहीं पाया गया है चूंकि मूलचन्द अनपढ व्यक्ति है। मृत्यू के श्री प्रभात का मृत्यू प्रमाण पत्र बनवाया गया है। मृत्यु की तारीख कम या ज्यादा अंकित कराने से किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है फिर भी प्रकरण हाजा से संबंधित दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ सिविल दावा अन्तर्गत धारा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 88,89,188, व 212 (1) के तहत वा सं. 2/148ए, व 403/16, 404/16, व 422/16 न्यायालय में विचाराधीन है। अतः सम्पूर्ण तफतीश हांसला से मामला अदम वकू सिविल नेचर का होना पाया है।

जिस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि परिवादिया द्वारा अपने धारा 200 सीआरपीसी में परिवाद पत्र का समर्थन किया गया है तथा धारा 202 सीआरपीसी के बयानों से भी परिवाद पत्र को समर्थन प्राप्त होता है। उक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन करें तो यह दर्शित होता है कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक परभात की मृत्यु तारीख 15.09.1997 अंकित है जो दिनांक 27.11.2001 को जारी किया गया था परन्तु परिवादिया द्वारा पेश आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी मृतक प्रभात के मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन करें तो उसमें प्रभात की मृत्यु दिनांक 04.12.1985 अंकित की गई है तथा उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र को उक्त विभाग द्वारा दिनांक 12.12. 2011 को जारी किया गया है तथा पत्रावली पर उपलब्ध इंतकाल नंबर 582 दिनांक 06.09.2003 दर्ज कराया गया है जो उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर गलत प्रतीत होता है तथा अभियुक्तगण द्वारा जारी कराया गया मृत्यु प्रमाण पत्र स्वतः ही फर्जी एवं नुमाईशी साबित होता है। ऐसे में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा पेश अंतिम प्रतिवेदन अस्वीकार किया जाता है। ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य धारा 200 व 202 सीआरपीसी, धारा 161 सीआरपीसी के आधार पर प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण

	मूलचंद, महादेव, घम्मन समस्त पुत्र बिरदू निवासीगण अंगारी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 तथा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 471, 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत कारित अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाता है। प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी द्व ारा धारा 204 सीआरपीसी की पालना करने पर फर्द तलबाना पेश होने पर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते किये जाने पालना धारा 204 सीआरपीसी/तलबी मुलजिमान दिनांक ..... को पेश हो।	